



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2010/चैत्र 2, 1932

No. 129]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2010/CHAITRA 2, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2010

सा.का.नि. 206(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 11-3-2010 का सा. का. नि. 183 (अ) की पाद टिप्पणी क्रम सं. 21, में निम्नलिखित प्रविष्टि शामिल की जाए :—

"22 सा. का. नि. 588 (अ) दिनांक 16 सितम्बर, 2005"

[सं 02/2010-सी एस टी /का सं एस-29012/3/2010-एस-ओ(एस टी)]

आर. जी. छाबड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd March, 2010

G.S.R. 206(E).— In G.S. R. 183 (E) dated 11-3-2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) in the Footnote after S. No. 21, following entry shall be inserted:—

"22. G.S. R. 588(E) Dated 16th September, 2005."

[No. 02/2010-CST/F. No. S-29012/3/2010-SO (ST)]

R. G. CHHABRA, Under Secy.